


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 303/2021 पूरण चन्द गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 01.02.2021 के अनुसरण में अपीलार्थी श्री पूरण चन्द गुप्ता, (स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि, बख्तपुरा, उमरैण जिला अलवर से राउमावि निटार, बैर जिला भरतपुर) को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राउमावि गढी सवाईराम, रैणी जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित/समायोजित किया गया था किन्तु उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर श्रीमती पूनम कुल्हार को पदस्थापित कर दिये जाने के कारण उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई।

उक्त दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर श्री पूरण चन्द गुप्ता, प्रधानाचार्य द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना समायोजन राउमावि आगर, थानागाजी जिला अलवर अथवा राउमावि अंगारी, थानागाजी जिला अलवर किये जाने का निवेदन किया गया। श्री गुप्ता के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका समायोजन राउमावि आगर, थानागाजी जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाकर दोहरे पदस्थापन की स्थिति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। मूल आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/पूरण चन्द/303/2021/162 दिनांक: 18/2/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर संभाग, जयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर/भरतपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री पूरण चन्द गुप्ता, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)